

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- नहीपाल सिंह आर०५०५६०

मुकदमा संख्या :- 111 / 2022 ज० क०

1. रामलाल पिता लच्छु बलाई निवासी शिवपुर तहसील करेडा व अन्य

बनाम

1. बाबु पिता जेठमल सोनी निवासी शिवपुर तहसील करेडा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक

15/6/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवपुर पटवार हल्का शिवपुर तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त

खातों की संख्या	आराजी नम्बर	1679/3	2075	2076	3787/2075
3788/2076	527	0.0253	0.2276	1.1255	0.0253
0.1265	4160/2076	0.6956	कुल किता 6 रकबा 2.2258 हेक्टर		

हैक्टर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/6/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम

शिवपुर	पटवार हल्का	शिवपुर	तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या
527 आराजी नम्बर	1679/3	2075	2076
4160/2076	0.0253	0.2276	1.1255
0.6956	कुल किता 6 रकबा 2.2258 हेक्टर		

हैक्टर भूमि के त्रारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक शिवपुर को 800/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने का आदेश मानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

2022/349

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलक्टर करेडा